

पूर्व मध्य रेल/EAST CENTRAL RAILWAY  
प्लान्ट डिपो/PLANT DEPOT

पं० दीन दयाल उपाध्याय/Pt.Deen Dayal Upadhyaya

का०आ०सं०- 04/ई

दिनांक-24.12.2020

04.01.2021

शिव कुमार तकनी०- I(वेल्डर)को का० आ० सं०-193/ई दिनांक-30.12.2010 के द्वारा एम०ए०सी०पी०के तहत वित्तीय उच्चयन लाभ देते हुए दिनांक-01.09.08 से ग्रेड पे रू 2000/- में वेतन का निर्धारण किया गया था। का०आ०सं०-251/ई दिनांक-30.11.09 के द्वारा इन्हें तकनी०- III में दिनांक -30.11.09 से पदोन्नति दिया गया है, चूंकि इन्हें पूर्व में ही एम०ए०सी०पी० के तहत ग्रेड पे रू 2000/- में ही वेतन का निर्धारण किया जा चुका था, इसलिए इन्हें दिनांक- 30.11.09 से तकनी० III(वेल्डर) में पदोन्नति दी गई थी, परन्तु वेतन निर्धारण नहीं किया गया। शिव कुमार को दंड आदेश सं०-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक-30.06.09/09.07.09 के द्वारा एक वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद की गयी थी, जो कि प्रभावी नहीं हो सकी थी। अतः का० आ० सं०- 193/ई दिनांक-30.12.10 में आशिक संशोधन कर दंड आदेश लागू करते हुए इनके वेतन का पुनः निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है।

वेतन जो दिया गया	वेतन जो होना चाहिए
01.09.08 रू 7430+2000=रू 9430/-	01.09.08 रू 7430+2000=रू 9430/-
01.07.09 रू 7720+2000=रू 9720/-	01.07.09 रू 7720+2000=रू 9720/-
30.11.09 रू 7720+2000=रू 9720/- (पदोन्नति दिनांक-30.11.09से तकनी०- III (वेल्डर) में किया गया)	30.11.09 रू 7720+2000=रू 9720/- (पदोन्नति दिनांक-30.11.09से तकनी०- III (वेल्डर) में किया गया)
01.07.10 रू 8020+2000=रू 10020/-	01.07.10 रू 7720+2000=रू 9720/- (वास्तविक) 01.07.10 रू 8020+2000=रू 10020/- (काल्पनिक) ( दंड आदेश सं०-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक-30.06.09/09.07.09 के द्वारा इनका एक वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद किया गया है।)
01.07.11 रू 8020+2000=रू 10020/- (वास्तविक) 01.07.11 रू 8320+2000=रू 10320/- (काल्पनिक) ( दंड आदेश सं०-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक-09.07.10 के द्वारा इनका दो वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद किया गया है।)	01.07.11 रू 8020+2000=रू 10020/- (वास्तविक) 01.07.11 रू 8320+2000=रू 10320/- (काल्पनिक) ( दंड आदेश सं०-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक 09.07.2010 के द्वारा इनका एक वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद किया गया है।)
01.07.12 रू 8020+2000=रू 10020/- (वास्तविक) 01.07.12 रू 8630+2000=रू 10630/- (काल्पनिक) ( दंड आदेश सं०-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक-09.07.10 के द्वारा इनका दो वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद किया गया है।)	01.07.12 रू 8020+2000=रू 10020/- (वास्तविक) 01.07.12 रू 8630+2000=रू 10630/- (काल्पनिक) ( दंड आदेश सं०-पीडी/ई/3ए/शिव कुमार /09 दिनांक-09.07.2010 के द्वारा इनका एक वर्ष की वेतनवृद्धि जब भी देय हो बंद किया गया है।)
01.07.13 रू 8950+2000=रू 10950/-	01.07.13 रू 8950+2000=रू 10950/-

01.07.2013 एवं इसके आगे का वेतन यथावत रहेगा।

(दीपक राज राय)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

प्लान्ट डिपो, डीडीयू।

*(Handwritten signature)*

दिनांक-24.12.2020